

FORM GST DRC-01

Intimation of tax ascertained as being payable under Section 74(1)

[See Rule 142]

GSTIN: 09ABCDE1234F1Z5

वर्ष: 2019-2020

1. धारा-74(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस

माह OCT 19-FEB-20 वर्ष 19-20 में आपके द्वारा **M/s Alpha Traders**, GSTIN- **09AAAAA0000A1Z1** रुपये 1946887.00 की कर योग्य खरीद घोषित की गयी है जिस पर रुपये 350439.00 IGST आईटीसी का लाभ लिया गया है।

M/s Alpha Traders, GSTIN- **09AAAAA0000A1Z1** की जांच पोर्टल पर करने पर पाया गया कि फर्म दिनांक 05-01-2019 से पंजीकृत है तथा दिनांक 05-01-2019 से ही फर्म का पंजीयन निर्धारण अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। उक्त फर्म द्वारा कोई RETURN दाखिल नहीं किया गया है तथा न ही कोई कर जमा किया गया है। इस प्रकार विभाग को कोई कर प्राप्त नहीं हुआ है।

2. माह MARCH 20 में आपके द्वारा **M/s Beta Enterprises**, GSTIN- **09BBBBB1111B1Z2** रुपये 370000.00 की कर योग्य खरीद घोषित की गयी है जिस पर रुपये 66600.00 IGST आईटीसी का लाभ लिया गया है। **M/s Beta Enterprises**, GSTIN- **09BBBBB1111B1Z2** की जांच पोर्टल पर करने पर पाया गया कि फर्म दिनांक 16-02-2019 से पंजीकृत है तथा दिनांक 16-02-2019 से ही फर्म का पंजीयन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। उक्त फर्म द्वारा कोई RETURN दाखिल नहीं किया गया है तथा न ही कोई कर जमा किया गया है। इस प्रकार विभाग को कोई कर प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रकार आप द्वारा उक्त फर्म से खरीद कर आईटीसी का लाभ लिया गया है जो धारा 16(2) (सी) के अनुसार अनुमन्य नहीं है। अतः GST/SGST की धारा-74(1) के अधीन आपके द्वारा संदेय ब्याज एवं शास्ति की रकम नीचे दिये गये अनुसार कर दायित्व:

अवधि/वर्ष	Act	Tax	Interest	Penalty
2019-20	IGST	417039.00	450608.00	417039.00

आपको सलाह दी जाती है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपरोक्त यथा अभिनिश्चित सम्पूर्ण कर की राशि लागू ब्याज (जमा करने की तिथि तक धारा-50 के अन्तर्गत) और धारा 74(1) के अधीन शास्ति की रकम के साथ संदाय करें अथवा अपना स्पष्टीकरण समस्त साक्ष्यों सहित ऑनलाइन तथा कमरा संख्या- 137, प्रथम तल, राज्यकर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, आर.डी.सी. राजनगर, गाजियाबाद पिनकोड 201002 में व्यक्तिगत रूप से नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, जिसके न होने की दशा में धारा 74(9) के अधीन आदेश पारित करते हुए मांग सृजित कर दी जायेगी।

नोट: उक्त नोटिस में ब्याज की गणना नोटिस की तिथि तक की गयी है। व्यापारी को निर्देशित किया जाता है कि व्यापारी जमा की तिथि तक ब्याज की गणना करते हुए ब्याज जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त राज्य कर

खण्ड-मोदीनगर गाजियाबाद